

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव सं०:- FP/UP/Road/34/116/2010

17-टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	स्वीकृत। संयुक्त की जाते हैं।
---	--------------------------------------

दिनांक:- 6/8/10

स्थान:-

हस्ताक्षर 6/8/10

नाम Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow
सरकारी मोहर